

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

1. यह नियुक्ति पूर्णकालीन अस्थायी है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा एक माह पूर्व सूचना देकर या उससे पहले पर एक माह का नोटिस/समिति सचिवालय को देकर कर्मियों की सेवा समाप्त की जा सकती है। यदि कर्मचारी द्वारा विद्यालय छोड़ा जाता है तो विद्यालय छोड़ने की तिथि से एक माह पूर्व लिखित रूप से इस आदेश की सूचना देनी होगी या इससे पहले पर एक माह की सचिवालय सचिवालय प्रबंधन को पास प्रेषित करनी होगी।
2. अंतिम वर्ष के अंत में या समय - समय पर समिति या प्रबंधन द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा अपनी शिक्षण कार्य का आयोजन, प्रदर्शन, आयोजन आदि का आयोजन किया जायेगा यदि आपका कार्य सम्मानजनक नहीं माना गया तो विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा आपकी सेवा समाप्त की जा सकती है।
3. अंतिम वर्षी योग्यता के अंतर्गत सभी एवं योग्यता परीक्षाओं को पूरा किया जायेगा अथवा पास पाये जाने पर सेवा समाप्त समाप्त की जा सकती है।
4. सेवा संचालन समिति/विद्यालय प्रबंधन द्वारा समय - समय पर जाति निर्देशों अथवा निर्देशों को पालन करना होगा।
5. सेवा के दौरान एक वर्ष में 03 दिवस का आधिकारिक अवकाश तथा 03 दिवस की ऐंथिक अवकाश की पावता होगी।
6. किसी भी प्रकार की अयोग्यता सिद्धि प्राप्त होने पर अथवा किसी कारण का कारण या कारण कारण होने पर निर्णय लेने का अधिकार पूर्णकालीन समिति को होगा।
7. अंतिम जारी होने की तिथि से दस दिवस की अवकाश अवकाश होगा अतिरिक्त होगा। अथवा यह अवकाश स्वयं निरस्त माना जायेगा।
8. सेवा नियुक्ति आयु 60 वर्ष होगी।
9. परिवर्तित अवधि 1 वर्ष की होगी। संतोषजनक कार्य होने पर ही सेवा में लाई किया जा सकता है।


सचिव

ज्योत्सना ज्योत्सना पब्लिक स्कूल सचिवालय
सीधी (MP)


सचिव

ज्योत्सना पब्लिक स्कूल
हनुमन्ती, सीधी (MP)


ज्योत्सना पब्लिक स्कूल
हनुमन्ती, सीधी (MP)